

प्रारूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान विरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

26-बी0एच0ई0एल0 रानीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री आदेश चौहान, पता— मानव सेवा सदन, बहादुराबाद, जनपद—हरिद्वार जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किये गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान— हरिद्वार

तारीख— 10.03.2022

हस्ताक्षर.....

रिटर्निंग आफिसर

Returning Officer  
26-BHEL, Ranipur Assembly Constituency

# FORM-21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Uttarakhand State from **26, BHEL Ranipur** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the people Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961. I declare that-

**Shri Adesh Chauhan** Address- **Manav Seva Sadan, Bahadrabad, District- Haridwar** by **Bharatiya Janata Party** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place Haridwar

Date 10-03-2022

Signature-----

Returning Officer

Returning Officer  
26-BHEL, Ranipur Assembly Constituency